



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17112025-267733
CG-MH-E-17112025-267733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5027]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947

No. 5027]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 17 नवंबर, 2025

का.आ. 5197(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेंडमेंट) अधिनियम, २००८, की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4), में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य के “नई ब्रॉड गेज नागदा बाईपास लाइन (13.70 किमी), रोहल खुर्द (कोटा डिवीजन - पश्चिम मध्य रेलवे) को भाटीसुडा (रतलाम डिवीजन - पश्चिम रेलवे) से जोड़ने वाली विशेष रेल परियोजना” के संदर्भ में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, नागदा	नागदा	उज्जैन

[फा. सं. E-663673-01]

कन्हैया झा, मुख्य अभियंता (निर्माण) –III

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th November, 2025

S.O. 5197(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “New Broad Gauge Nagda Bypass Line (13.70 Km), connecting Rohal Khurd (Kota Division - West Central Railway) to Bhatissuda (Ratlam Division - Western Railway)” in the State of Madhya Pradesh relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Nagda	Nagda	Ujjain

[F. No. E-663673-01]

KANHAIYA JHA, Chief Engineer(CON.)-III